बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

व्यापार सुधार कार्य योजना 2019

बीआरएपी सुधार संख्या 1- सूचना प्रवर्तक (विजार्ड)

1. कौन-से विभाग "संबंधित विभागों" के रूप में सुधार कार्ययोजना के मद संख्या 1 की उपमद संख्या (iii) के अंतर्गत आएंगे?

उत्तर: "संबंधित विभागों" से आशय उन विभागों से है, जिनसे अनापत्ति/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र की अपेक्षा किसी विशेष सेवा के पूर्व आवेदन करने हेतु अपेक्षित है।

2. "ऑलनाइन आवेदन फॉर्मों के लिंक" क्या हैं जिन्हें सूचना प्रवर्तक में उपलब्ध कराया जाना है?

उत्तर: इस लिंक को सिंगल विंडो सिस्टम अथवा ऑनलाइन पोर्टल के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहां आवेदक जिस कार्य के लिए सूचीबद्ध हो, अनुमति लेने के लिए आवेदन कर सकता है।

3. इस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत कौन-कौन से प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं?

उत्तर: इन सुधारों का संबंध राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों से है।

बीआरएपी सुधार संख्या 4- ऑनलाइन सिंगल विन्डो सिस्टम

4. "सत्यापन" शब्द का आशय क्या है जिसे सुधार मद संख्या 4 के उप-मद अर्थात "दस्तावेज प्रस्तुति एवं सत्यापन" के लिए वास्तिवक स्पर्श बिन्दु को हटाया जाना है/में प्रयोग किया गया है?

उत्तर: यह सुधार मद आवेदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा किये जाने वाले वास्तिवक स्पर्श बिन्दु को हटाते समय नियमित जांच एवं दस्तावेजों की सत्यता के सत्यापन से संबंधित है।

निवेशक से न तो संबंधित विभाग में जाने की अपेक्षा है, न ही संबंधित अधिकारी को सत्यापन के उद्देश्य से उससे संपर्क करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

5. बहुविकल्पी अनुमोदनों के लिए आवेदन करने वाले निवेशक हेतु अधिसूचना की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए?

उत्तर: उन मामलों में जिनमें किसी निवेशक ने बहुविकल्पी अनुमोदनों के लिए अनापत्ति/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया हो, तो अन्य अनुमोदनों की प्रतीक्षा किये बिना उसे प्रत्येक अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात अधिसूचित किया जाना चाहिए।

6. सुधार के लिए उप-मद (v) में संदर्भित "सेवा-वार अनुमोदन प्रदान किये जाएं" का अर्थ क्या है?

उत्तर: यह उन मामलों से संबंधित है, जिनमें अलग-अलग प्रकार के अनुमोदन विभिन्न समय सीमाओं के अनुसार दिए जाते हैं। आवेदक को जब भी संबंधित विभाग/एंजेसी से प्रदान की जानी हो उसे एकल विंडो सिस्टम में अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

बीआरएपी सुधार संख्या 7- भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण

7. भूमि लेन-देन के दस्तावेज के डिजिटलीकरण के लिए कितनी समय-सीमा (वर्षों में) है?

उत्तर: इस सुधार का आशय संपत्ति को बेचना और खरीदना आसान बनाना है। परिसीमन कानून में 30 वर्षों तक के अभिलेखों की आवश्यकता होती है, जो किसी व्यक्ति के अधिकार एवं भूमि संबंधी अवरोधों के सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं। मौजूदा वर्ष में, इसके संबंध में केवल 10 वर्षों के अभिलेखों की अपेक्षा का प्रस्ताव किया गया है। इस सुधार की प्रक्रिया की गति धीमी रखने से सम्पत्ति के

पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया में काफी वर्ष लग जाएंगे। अत: अगले तीन वर्षों में इसमें लगने वाला समय 15, 20 और 30 वर्षों तक निर्धारित किए जाने का अनुमान है।

बीआरएपी सुधार संख्या 8- भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण

8. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिक्षेत्रों के लिए सार्वजनिक दायरे में आने वाले राजस्व विभाग के सभी ऑनलाइन कार्यालयों में आरओआर(संपत्ति का अधिकार) संबंधी मेटाडेटा में क्या प्रदर्शित होना चाहिए ?

उत्तर: इस मेटाडेटा में भूमि के स्वामित्व और पूर्ववृत्त संबंधी विवरण प्रदर्शित होना चाहिए।

बीआरएपी सुधार संख्या 11- भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण

9. सिविल न्यायालयों में लंबित/निपटाए गए मामलों की संख्या संबंधी आंकड़ों के समेकन की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर: राज्य के राजस्व/जिला न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री कोर्ट अथवा संबंधित फाइलिंग अनुभाग के पास सिविल न्यायालयों में लंबित/निपटाए गए मामलों की संख्या संबंधी आंकड़ें उपलब्ध होते हैं। यह राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और प्रत्येक भूमिखण्ड के अभिलेख को इससे संबद्ध किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है कि भूमि अभिलेखों और सिविल कोर्ट के मामलों से संबंधित आंकड़ों के समेकन से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी के समक्ष विचाराधीन है। केस इंफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में भूमि के विवरणों सहित सिविल कोर्ट के केस डेटा शामिल होंगे। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी के साथ क्रियान्वयन प्रक्रिया जारी रखने का परामर्श दिया गया है। डीआईपीपी इस संबंध में यथा अपेक्षा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता करेगा।

10. कब कोई प्रयोक्ता वेबसाइट पर सर्वेक्षण संख्या/सम्पत्ति पहचान संख्या जैसे कि भूमि लेन-देन डीड, सम्पत्ति कर, रेवेन्यू कोर्ट के मामलों का विवरण तथा सिविल कोर्ट मामलों के आंकड़े उसी वेबसाइट के अन्य वेब पेजों पर देख सकता है।

अथवा

कब कोई प्रयोक्ता वेबसाइट पर किसी भूमि से संबंधित सर्वेक्षण संख्या/सम्पत्ति पहचान संख्या यथा लेन-देन डीड, सम्पत्ति कर, रेवेन्यू कोर्ट के मामलों का विवरण तथा सिविल कोर्ट मामलों के आंकड़े उसी वेबसाइट के अन्य वेब पेजों पर समेकित रूप में देख सकता है।

उत्तर: किसी भूमि के लेन-देन से संबंधित डीड, सम्पत्ति कर का विवरण किसी एक वेबसाइट के एकल वेब पेज पर समेकित रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

11. **क्या सिविल कोर्ट केस डेटा की मैपिंग सर्वेक्षण संख्या अथवा सम्पत्ति की पहचान संख्या के साथ होती है जो राज्य सरकार के दायरे में आता है क्योंकि यह आंकड़ा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है ?**

उत्तर: राज्य को अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय करना चाहिए और किसी असुविधा की स्थिति में डीआईपीपी न्याय विभाग के साथ चर्चा करेगा।

<u>बीआरएपी सुधार संख्या 24- सुधार क्षेत्र "एकीकृत भवन संहिता"</u>

12. इस सुधार के संदर्भ में कृपया यह स्पष्ट करें कि "भवनों का जोखिम आधारित वर्गीकरण संबंधी प्रावधान" संबंधित खण्ड लिफ्ट तथा वैद्युत स्थापनों पर भी लागू होता है ?

उत्तर: यह सुधार लिफ्ट तथा एस्क्लेटर के इंस्टॉलेशन/स्थापन से संबंधित नहीं है।

<u>बीआरएपी सुधार संख्या 25- सुधार क्षेत्र "मास्टर प्लान"</u>

13. कानूनी रूप से मान्य मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भूमि उपयोग संबंधी प्लान से तात्पर्य क्या है ?

उत्तर: इस योजना/प्लान को यूएलबी/राज्य के संबंधित विभाग द्वारा अवश्य लागू किया गया होगा और यह प्रारूपण अथवा परामर्शी स्तर पर नहीं होगा।

<u>बीआरएपी सुधार संख्या 36- बॉयलर्स अधिनियम, 1923 के अंतर्गत बॉयलर्स का पंजीकरण एवं नवीकरण</u>

14. क्या बीओई के प्राधिकार की अपेक्षा बॉयलर्स के पंजीकरण एवं नवीकरण हेतु शुरू किए जाने हेतु अथवा अपंजीकृत बॉयलर्स के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बॉयलर्स को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है?

उत्तर: बॉयलर्स के नवीनीकरण के लिए बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर से प्राधिकार प्राप्त करने की अपेक्षा को आरंभ किया जाना है।

15. क्या राज्यों को डीआईपीपी द्वारा पैनलबद्ध एजेंसियों को थर्ड पार्टी (अन्य पक्ष) प्रमाणन के लिए उन्ही एजेंसियों को पैनल में लाना अपेक्षित है?

उत्तर: जी, नहीं। राज्यों द्वारा अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी एजेंसियों) के रूप में उन्हीं एजेंसियों को पैनल में रखे जाने की अपेक्षा नहीं है।

16. क्या बीओई के नियोजन के लिए मापदण्ड में छूट दिए जाने के लिए राज्यों को अनुमति है?

उत्तर: नहीं।

17. **क्या बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर की पैनलबद्धता की कोई अपेक्षा है?**

उत्तर: नहीं। बीओई की पैनलबद्धता की कोई अपेक्षा नहीं है।

18. क्या बीओई नियमावली, 2011 के नियम 31 में, न्यूनतम पात्रता मानदंड अर्थात आयु, योग्यता और अनुभव से संबंधित नियम के विपरीत "बॉयलर के प्रचालन के संबंध में न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव" की आवश्यकता का आरंभ किया जा रहा है?

उत्तर: बीओई नियमावली, 2011 के नियम 31 में न्यूनतम पात्रता मानदंड अर्थात आयु, योग्यता और सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु अनुभव और बॉयलर आपरेशन इंजीनियर के रूप में किसी बॉयलर के प्रचालन से संबधित प्रावधान हैं। उक्त मानदंड डिप्लोमा तथा डिग्री धारक दोनों के लिए उल्लिखित हैं।

तथापि, बीआरएपी, 2019 के अंतर्गत बीओई नियमावली, 2011 के नियम-31 के अधीन तीसरे पक्ष के प्रमाणन के बारे में योग्यताओं से संबंधित भेद स्पष्ट दिया गया है। तीसरे पक्ष से प्रमाणन जारी करवाने/प्रदान करने के उद्देश्य से केवल एक बीओई जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री हो अथवा जो मैकेनिकल/उत्पादन/पॉवर प्लांट/मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग के साथ स्नातक हो और जिसके पास कम से कम 5 वर्षों का बॉयलर प्रचालन के क्षेत्र का संबंधित कार्य अनुभव हो, पात्र है। उक्त सुधार डिप्लोमा धारकों को तीसरे पक्ष के प्रमाणन को प्राप्त करने से छूट देता है।

19. क्या बीओई पर किसी अन्य पक्ष से निरीक्षण कराने पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध है?

उत्तर: बीओई पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है यदि वे बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 34(3) के अंतर्गत प्राधिकृत हैं।

<u>बीआरएपी सुधार संख्या 41 एवं 42- दुकान एवं प्रतिष्ठान के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण</u>

20. क्या पंजीकरण एवं नवीनीकरण दोनों से संबंधित अपेक्षाएं विकसित करना आवश्यक है?

उत्तर: दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत केवल पंजीकरण के लिए राज्य कुछ अनिवार्य अपेक्षाएं विकसित करेंगे। दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण केवल सुधारों के लिए मुख्य शीर्ष से संबंधित है।

बीआरएपी सुधार संख्या 42- दुकान एवं प्रतिष्ठान के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण

21. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण की अपेक्षा को हटा दिया जाना चाहिए?

उत्तर: जी, हां। राज्य को दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण का नवीनीकरण करने संबंधी अपेक्षा को हटा देना चाहिए और प्रतिष्ठान द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

बीआरएपी सुधार संख्या 46- श्रम विनियमन-सक्षमकारी

22. क्या राज्य किसी ऐसे अधिनियम से छूट प्रदान कर सकते हैं जिनमें विवरणी दाखिल नहीं की जाती ?

उत्तर: राज्य ऐसे अधिनियमों को छोड़ सकते हैं, जिनके अंतर्गत विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा नहीं होती। तथापि राज्य को इस सुधार बिंदु की अनुपालना संबंधी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

बीआरएपी सुधार संख्या 48- विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना

23. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवेदकों से बीआरएपी 2019 के अंतर्गत अधिदेशित अपेक्षाओं के अतिरिक्त विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने हेतु कुछ दस्तावेज प्राप्त करने होते हैं। क्या इस संबंध में सुधार के लिए अनुमोदन किए गए हैं?

उत्तर: इस सुधार में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के दस्तावेज संबंधी अपेक्षा को कम करना है जो निम्नानुसार हैं:

I. उपयोगकर्ता की पहचान का साक्ष्य
II. स्वामित्व/आधिपत्य संबंधी साक्ष्य (यदि अधिभुक्त/लीज पर लिया गया परिसर हो)
III. प्राधिकार संबंधी दस्तावेज (यदि कंपनी अथवा कारखाना हो)

यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के दस्तावेजों की इस सूची को और कम करना चाहते हैं तो इस संबंध में और सुधार किए जाएंगे जो इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए अनुमोदन के मानदंडों को पूरा करता हो।

बीआरएपी सुधार संख्या 55-56: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन माल एवं सेवाकर अधिनियम (जीएसटी) द्वारा कर समर्थन

24. यह सुधार संख्या 55-56 से संबंधित है, नामत:

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत **विवर णियों की ई-फाइलिंग के लिए कर दाताओं की सहायता के लिए सेवा केन्द्रों की स्थापना, और**
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत विवरणियां तैयार करने और ई-फाइलिंग करने में प्रयोक्ताओं की सहायता जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए एक हेल्प लाइन की स्थापना करना।

उसी प्रकार, राज्य यह जानना चाहेंगे कि क्या सेवाओं की स्थापना के लिए वे आउट सोर्स कर सकते हैं अथवा यह सेवा विभाग द्वारा उपलब्ध करानी होगी?

उत्तर: राज्य अपने यहां सेवा केन्द्र और हेल्प लाइन की स्थापना करने का विकल्प चुन सकते हैं ताकि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत विवरणियां फाइल करने के लिए कर दाताओं को सहायता पहुंचायी जा सके और साथ ही उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम

सहायता उपलब्ध करायी जा सके, विभाग के अंतर्गत आंतरिक रूप से अथवा आउटसोर्स के माध्यम से इस प्रणाली का विकास एवं अनुरक्षण करने का लक्ष्य राज्य की प्राथमिकता है। तथापि, दोनों ही अवस्थाओं में प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का यह होगा कि वे समयबद्ध तरीके से सुचारू कार्य संचालन एवं मामलों का समाधान सुनिश्चित करें।

बीआरएपी सुधार संख्या 58- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन माल एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) कर समर्थक

25.किन प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम आदेश के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाता है?

उत्तर: अग्रिम आदेश के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जीएसटी अधिनियम के संगत अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है। अग्रिम आदेश के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन करने के लिए उपबंध पंजाब माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 99 के अध्याय XVII के अंतर्गत 'अग्रिम आदेश' पर उल्लिखित है।

बीआरएपी सुधार संख्या 65- केन्द्रीय निरीक्षण अवसंरचना

26. केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली पर डाउनलोड करने के लिए कितने वर्षों की निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए?

उत्तर: केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली पर डाउनलोड करने के लिए वर्ष 2017, 2018 और 2019 की निरीक्षण रिपोर्टें आवश्यक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ।

27. संबंधित विभागाध्यक्ष से विशिष्ट अनुमति का आशय क्या है ?

उत्तर : प्रत्येक औचक निरीक्षण अथवा शिकायतों के आधार पर किए जाने वाले निरीक्षण के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।

28. बीआरएपी-2019 के अंतर्गत केन्द्रीय निरीक्षण अवसंरचना बॉयलर्स अधिनियम,1923 के अंतर्गत किए जाने वाले निरीक्षणों पर भी लागू होता है । एक बॉयलर निरीक्षण में कुछ मामलों में किसी निरीक्षक को किसी स्थान पर एक से अधिक बार दौरा करना पड़ सकता है क्या बार-बार एक स्थान का दौरा करना जो कि किसी खास निरीक्षण का भाग होने के कारण बॉयलर्स अधिनियम,1923 के अंतर्गत सुधार मानदंड के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा?

उत्तर: किसी बॉयलर के निरीक्षण के लिए एक से अधिक बार दौरा करना एक निरीक्षण माना जा सकता है उसी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के विभिन्न चरणों को पूरा करना पड़ सकता है (यदि विद्युत से चलने वाला बॉयलर हो तो उसकी पूरी जांच की अपेक्षा होती है और एक निरीक्षण में हाईड्रोटेस्टिंग दो अलग-अलग दिनों में की जाती है,जिसे एक निरीक्षण का भाग माना जाना चाहिए)। तदनंतर निरीक्षणों के लिए राज्य सरकार बॉयलर के मालिक को परामर्श दे सकती है/उन्हें शिक्षित कर सकती है कि वे बॉयलरों का निरीक्षण कराने के लिए प्राइवेट कंपोनेंट पर्सन्स से सम्पर्क करें ताकि बीआरएपी 2019 में प्रस्तावित प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा सके।

बीआरएपी सुधार संख्या 76- ड्रग मैनुफैक्चरिंग / विक्रय /भंडार लाइसेंस एवं उसका नवीनीकरण

29. यदि किसी राज्य के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रावधान अब वैध नहीं है तो इस मद हेतु राज्य का मूल्यांकन किस प्रकार होगा?

उत्तर: यदि लाइसेंस का नवीनीकरण राज्य में वैध नहीं है, तो राज्य को इसके लिए समुचित साक्ष्य प्रदान करना होगा। यदि आवधिक शुल्क का भुगतान करना हो तो इसके अंतर्गत एक नया प्रावधान शुरू किया जाए ताकि पुराने लाइसेंस को बरकरार रखा जा सके, तो राज्य सुनिश्चित करें कि यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए। साथ ही, इसके साक्ष्य भी प्रदान किए जाएं।

******